न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/59

1. निहालसिंह पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. चेतनसिंह पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राजन्ती पुत्री बाबूलाल पत्नि निहाल सिंह जाति गुर्जर निवासी ढाणी बंध, सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. रूकमणी पुत्री बाबूलाल पत्नि कैलाश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडली तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. भगवानी पुत्री बाबूलाल पत्नि धर्मसिंह जाति गुर्जर, निवासी ढाणी बंधी सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र लक्ष्मण
2. केदार पुत्र लक्ष्मण
3. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मण
4. रमेश पुत्र लक्ष्मण
5. धोली देवी पत्नि स्व0 जगदीश
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
6. रामा देवी पुत्री जगदीश पत्नि हरभजन जाति गुर्जर निवासी ग्राम मरियाडा तहसील सिकराय, जिला दौसा।
7. तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा।
8. उप पंजीयक सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 07.01.2025 मुकदमा नम्बर 5/2023 उनवानी ब्रजमोहन बनाम निहालसिंह बाबत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 08.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के खिलाफ दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष एक अपील बाबत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला, तहसील सिकराय, जिला दौसा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी के पिता लिछमन तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल की सहखातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 80/1 रकबा 8 बीघा बारानी बंजड, आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 98/210

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुर्जर सीमला में स्थित थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल के द्वारा राजस्व कर्मी व तहसीलदार सिकराय से मिलकर अपीलान्ट्स के पिता लिछमन की सह खातेदारी भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 का सहमति से बंटवारा दर्शाकर तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलार्थी तथा अपीलान्ट्स के पिता लिछमन को कोई जानकारी नहीं होने दी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 7 के द्वारा तरमीम दुरूस्ती का दावा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष पेश कर दिया। जिसके नोटिस अपीलान्ट्स के पास गये तो अपीलान्ट्स ने न्यायालय में उपस्थित होकर तरमीम दुरूस्ती के मुकदमें की जानकारी ली तथा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की जो अपीलान्ट्स को 23.02.2023 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर तहसीलदार सिकराय को प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुये नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के सम्बन्ध में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट निहालसिंह पुत्र बाबूलाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 बाद तामील अनुपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2025 न्याय, नियम, प्रक्रिया के विरुद्ध होने की गरज से चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 266 के जरिए तकासमे में आई भूमि पर काबिज होकर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर मकानात रहवास कर कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दोनों के अलग अलग जमाबन्दी पासबुक जारी किये हुए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन द्वारा दिनांक 27.06.1995 को अपीलांट के पिता, दादा बाबूलाल के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी करवाया गया है। खातेदार लिछमन द्वारा विभिन्न बैंकों से अपनी आराजी पर बार बार कृषि ऋण, बैक, सहकारी समिति से लिया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन पुत्र रामसहाय द्वारा अपने अलग कायम किये गये खाते जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन पुत्र रामसहाय द्वारा यूको बैंक शाखा मानपुर से अपने अलग हुए खाते पर कृषि ऋण लिया जा चुका था जिसका अंकन नामान्तरकरण विरासत लिछमन पुत्र रामसहाय के मृत्यु उपरान्त तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 08.12.2009 को स्वीकार किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त नामान्तरकरण में भी लिछमन पुत्र रामसहाय कौम गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा मानपुर मुर्तहिन एवं जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में दर्ज अंकित आनंदी देवी पत्नि स्व. लिछमन, राधेश्याम, रमेश केदार पिता लिछमन हिस्सा 4/5 राहिन यूको बैंक शाखा मानपुर मुर्तहिन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि

रेस्पा० 1 लगायत 4 की जानकारी में सहमति का तकासमा किया जाकर खाते अलग–अलग कायम किये जाने की जानकारी रही है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन पुत्र रामसहाय की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 08.12.2009 को स्वीकार किया गया। उक्त विरासत के नामान्तरकरण में आराजी की बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा विरासत रिलीज डीड के पृष्ठ संख्या 1 भाग संख्या 137 क्रम संख्या 2326 पृष्ठ संख्या 29 दिनांक 23.09.2009 पर पंजीबद्ध करवाये जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 413 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक में तस्दीक फरमाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता आनन्दी देवी के इंतकाल के उपरान्त भी विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने नाम दर्ज करवाया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अपने अलग खाते की जानकारी रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा एन एच 11 (वर्तमान नया नाम एन एच 21) हेतु अवाप्तशुदा भूमि को मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा आपसी रंजिशवश निराधार अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अपीलाधीन आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य पूर्व में दावेजात चल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 की अपील 28 वर्ष बाद पेश किया जाना अपने निर्णय में अंकित किया गया है। कानून प्रकरण के मेरिटस पर निर्णय पारित फरमाया जाना आवश्यक है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर किसी भी प्रकार का आदेश नहीं फरमाकर भारी कानूनी भूल कारित की है जो चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निराधार कथन किया गया है कि सहमति के बंटवारे के संबंध में कही कोई रिकॉर्ड नही है केवल मात्र आदेश का हवाला देकर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना बताया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि डिस्पेच रजिस्टर Serial no.1358–59 Date of issue 27.06.1995 To whom issued के कॉलम में लिछमन बाबूलाल s/o रामसहाय गुर्जर, निवासी गुर्जर सीमला एवं Brief contents के कॉलम में प्रार्थना पत्र बाबत सहमति पत्र बाबत सहमति पत्र स्कीम करने के क्रम में। जिसके आगे स्वयं बाबूलाल के हस्ताक्षर एवं लिछमन की अगूंठा निशानी अंकित है जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई है अपीलांट द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त सत्यापित प्रति पेश की जा चुकी है। तहसील सिकराय के आदेश डिस्पेच रजिस्टर के दिनांक 27.06.1995 के क्रमांक 1358, 1359 की परिपालना में नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 तस्दीक फरमाया गया जिसके द्वारा भूमि खसरा नंबर 80/1 रकबा 8 बीघा खसरा नंबर 95/1 रकबा 8 बिस्वा 98/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नंबर 142, 7 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन पुत्र रामसहाय के आराजी हक हिस्से में आई थी उक्त आराजी में से खसरा नंबर 80/1 रकबा 8 बीघा भूमि में से राज० सरकार महकमा इन्जीनियरिंग (P.W.D) द्वारा 8 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई एवं अवाप्तशुदा भूमि 80/1 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन सड़क दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2049 में बहक राज० सरकार महकमा इन्जीनियरिंग (P.W.D) दर्ज हो गई है अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन द्वारा प्राप्त किया गया था इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं उनके पिता लिछमन को भूमि विभाजन सहमति की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहमति द्वारा किये गये विभाजन में प्राप्त भूमि में उत्तराधिकार विरासत नामान्तरकरण रहन एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने की कार्यवाहीयों से स्पष्ट प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता लिछमन, माँ आनन्दी देवी, बहन इमरती, रूपन्ती सभी वारिसान को विभाजन बाद अलग–अलग कायम किये गये खातेदारी की जानकारी रही

है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 के विरूद्ध वर्ष 2023 में करीब 30 वर्ष बाद अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र को निस्तारित नहीं फरमाया जाकर कानूनी भूल की गई है जो चलने योग्य नहीं है रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 4 की अपील प्रारम्भिक स्तर पर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी। नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 कानूनी प्रावधान के अनुसार राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (i) के अनुसार सहखातेदारों के मध्य जोत का विभाजन सहमति पूर्ण फरमाया गया था सहमति के आधार पर पारित किया गया आदेश कानूनन धारा 96 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार अपील योग्य ही नही है तो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07.01.2025 काबिले खारिज है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2025 को खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त अपील अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के द्वारा नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अनुवानी बृजमोहन बनाम निहालसिंह में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष एक अपील अनुवानी बृजमोहन बनाम निहालसिंह की इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थीगण के पिता लिछमन तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 80/1 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 95 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा खसरा नंबर 98/210 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 142 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गुर्जर सीमला में स्थित थी जो प्रार्थीगण अपीलान्ट के पिता लिछमन व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 के पिता बाबूलाल की सहखातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि का लिछमन व बाबूलाल ने कभी भी तकासमा नही किया किन्तु बाबूलाल के द्वारा राजस्वकर्मी व तहसीलदार सिकराय से मिलीभगत करके बिना तकासमा हुए बिना ही सहमति से बटवारा का नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को दर्शाकर तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के पिता लिछमन को कोई जानकारी नहीं होने दी और जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने अपील पेश की।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में पक्षकारान की रजिस्टर्ड डाक से विधिवत तलबी करवायी गयी और पक्षकारों को उक्त अपील की पूर्ण जानकारी हो गयी उसके बावजूद वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये और अधिनस्थ न्यायालय ने जिस बटवारे को आधार बताकर और उक्त नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया है उक्त रिकार्ड को तलब किया गया किन्तु उक्त रिकार्ड उपलब्ध ही नहीं है क्योकि उक्त तकासमा हुआ ही नही है और बिना तकासमा हुए बिना ही मिलीभगत से सहमति का तकासमा दिखाकर और उसका नामान्तकरण संख्या 266 तस्दीक करवाया गया है इसलिये उसका रिकार्ड नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड नहीं आया और अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को अपनी विस्तृत फाईन्डिग देते हुए कि अपीलान्ट को तरमीम दुरूस्ती का दावा रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश करने पर नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर नामान्तकरण की नकल दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त होने पर प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी होना बताया है प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा तरमीम दुरूस्ती का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दावा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में इतनी लंबी अवधि के बाद पेश किया गया जबकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का विपरीत कब्जा अभी तक होना अपील मे बताया है था जिस तकासमें के आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसका रिकार्ड कहीं भी प्राप्त नही हुआ है। बिना तकासमे के आदेश के प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया तथा तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नही होता है और उक्त फाईन्डिग देते हुए प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय को निरस्त कर तथा तहसीलदार सिकराय को प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के संबध में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई कानूनी खामी नहीं की है यदि इस तरह का कोई तकासमा हुआ होगा तो तहसीलदार जी इसकी जाँच करके और पुनः नामान्तकरण तस्दीक कर देगे मात्र प्रकरण को प्रतिप्रेषित ही तो किया गया है यदि तकासमा हुआ है तो पुनः नामान्तकरण दर्ज हो जावेगा। उक्त रिमान्ड आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने एक तथ्य यह उठाया है कि अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना तामील करवाये बिना वेग पूर्ण तरीके से उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 पारित किया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाकर और विधि अनुसार तामील होने के बावजूद उनके उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा में बहस सुनकर और विधिवत निर्णय किया है जिसमें किसी भी तरह की कोई कानूनी खामी नहीं है। विधिवत तामील के बाद में यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी न्यायालय की नहीं है। अपीलान्ट ने अपनी सम्पूर्ण अपील और लिखित बहस में मात्र टेक्निकल बिन्दु पर प्रार्थीगण को नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है और जानकारी होने के बारे में बहुत से तथ्य अपनी अपील में और लिखित बहस में अंकन किये है और अपील को मात्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करवाने के लिये प्रयास किया है मैरिटस पर निस्तारण के लिये कोई तथ्य नहीं बताये है। कानूनन उक्त नामान्तकरण जो सहमति के आधार पर तकासमा बताकर तस्दीक किया गया है उक्त सहमति से कभी भी कोई बटवारा हुआ ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज कही मौजूद है जिसके आधार पर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है और जब बिना किसी दस्तोवज के फर्जीवाडा कर और अवैध अमान्य व प्रभावशून्य कार्यवाही की गयी है तो उसकी अपील करने की कोई मियाद भी नही होती है कानूनन एब इनिशियो वाईड निर्णय को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है।

माननीय राजस्व मंडल ने अपने निर्णय आर आर टी 2023 (2) पेज 1241 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "आर्डर विच इज वाईड एब इनिशियो केन बी चेलेन्ज एट एनी टाईम यहा भी उक्त नामान्तकरण बिना किसी दस्तावेजात के. आधार पर खोला गया है जिसको चेलेन्ज करने की कोई मयाद नहीं है उसको कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है और अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मात्र रिमान्ड किया है यदि अपीलान्ट के पास ऐसा कोई बटवारे के संबंध मे दस्तावेज है तो तहसीलदार के समक्ष पेश कर दे वहीं वापिस निर्णय हो जावेगा या श्रीमान के समक्ष पेश कर दे। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय आर आर डी 1995 पेज 576 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है" यदि आदेश इलिगल और प्रिसिपल आफ नेचूरल जस्टिस के विपरीत है तो अपील करने के लिये कोई मयाद नहीं होती है। अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह तथ्य बताया है कि डिस्पेच रजिस्टर सीरीयल नंबर 1358, 59 दिनांक 27.06.1995 के कालम में लिंछमन, बाबूलाल पुत्र रामसहाय गुर्जर सीमला एवं ब्रीफ कमैन्ट के कालम में प्रार्थना पत्र बाबत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहमति पत्र लिखा हुआ है जिसकी सत्य प्रतिलीपी प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सी पी सी के साथ पेश कर दी गयी है कानूनन उक्त दस्तावेज अभी तक रिकार्ड पर नही आये है किन्तु फिर भी यदि उक्त दस्तावेज को श्रीमान अवलोकन भी फरमाये तो उक्त दस्तावेज से कही भी यह प्रमाणित नही है कि क्या सहमति का कागज है और यह डिस्पेच कहा किया गया है और यदि डिस्पेच रजिस्टर में यह एन्टी है तो उक्त दस्तावेज कहा भेजा गया है और क्या दस्तावेज है तथा किस बाबत सहमति है और उक्त डिस्पेच रजिस्टर के कमांक 1358–59 के उपर नीचे के कमांक 1357 या 1360 को देखते है तो उनमे स्पष्ट अंकन है कि दस्तावेज कौनसे पटवारी को भेजे है किन्तु उक्त नंबर जो अपीलान्ट ने बताया है 1358–59 पर लिछमन, बाबूलाल पुत्र रामसहाय गुर्जर, गुर्जर सीमला लिखा हुआ है तथा किसी के अंगूठा निशानी लगी हुई कानूनन डिस्पेच रजिस्टर्ड मे पक्षकार की कोई अंगूठा निशानी नहीं होती है उसमे तो भेजने वाले बाबू या अधिकारी के हस्ताक्षर होते है किन्तु उक्त समस्त कार्यवाही फर्जीवाडा को इंगित करती है जो उनके द्वारा प्रस्तुत स्वंय के दस्तावेज से सिद्ध है। जिस सहमति का बटवारा होना बताकर उक्त नामान्तकरण संख्या 266 तस्दीक किया है उक्त दस्तावेज की नकल तो रिकार्ड में होगी किन्तु इस तरह का कोई दस्तावेंज नहीं है मिलीभगत करके उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है जिसको अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मात्र रिमान्ड किया है जिसमे किसी तरह की कोई गलती नहीं की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील व लिखित बहस में यह तथ्य बताया है कि नामान्तकरण संख्या 266 दिनाक 28.06.1995 के विरुद्ध वर्ष 2023 में करीब 30 वर्ष बाद अपील पेश की गयी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित नही फरमाया जाकर कानूनी भूल की है और मात्र अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारिज करने की याचना की है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को अपनी विस्तृत फाईन्डिग देते हुए कि अपीलान्ट को तरमीम दुरुस्ती का दावा रेस्पोडेन्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश करने पर नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त होने पर नामान्तकरण की नकल दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त होने पर प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी होना बताया है प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा तरमीम दुरुस्ती का दावा उपखण्ड अधिकारी सिकराय मे इतनी लंबी अवधि के बाद पेश किया गया जबकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का विपरीत कब्जा अभी तक होना अपील मे बताया है था जिस तकासमे के आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसका रिकार्ड कही भी प्राप्त नहीं हुआ है। बिना तकासमे के आदेश के प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया गया जाना तथा तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और उक्त फाईन्डिग देतें हुए प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय को निरस्त कर तथा तहसीलदार सिकराय को प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। और अधिनस्थ न्यायालय ने मैरिटस पर निर्णय पारित किया है कानूनन माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे अपने निर्णय आर आर डी 1992 पेज 27 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील का मैरिटस पर निर्णय करने का अर्थ होगा कि अपील मे मयाद का निर्णय भी उसके पक्ष में कर दिया गया है और इस बिन्दु पर प्रकरण को रिमान्ड नहीं करना चाहिए। अपीलान्ट ने अपनी अपील व लिखित बहस में यह तथ्य बताया है कि सहमति के आधार पर पारित निर्णय अपील योग्य नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण को गलत निरस्त किया है यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो तथाकथित सहमति का तकासमा बताकर फर्जीवाडा करके उक्त नामान्तकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक किया गया है उक्त सहमति का कभी भी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बटवारा नहीं हुआ है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है ना ही ऐसा कोई रिकार्ड मौजूद है और ना ही ऐसा कोई रिकार्ड अपीलान्ट ने श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है मात्र टेन्किल आधार पर उक्त अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा मात्र टेक्निकल बिन्दुओं पर अपनी सम्पूर्ण अपील पेश की है अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को मात्र रिमान्ड किया है और यदि अपीलान्ट के पास ऐसा कोई दस्तावेज सहमति से बटवारे के संबंध में मौजूद है या तहसील में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध है तो पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाया जा सकता है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण अपीलान्ट मात्र टेक्निकल आधार पर अपील को खारिज करवाना चाहते है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने की कृपा करे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 07.01.2025 पारित किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारों में विवाद प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 को तस्दीक करने को लेकर है। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 सहमति से बंटवारे के आदेश के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय जिला दौसा द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा तरमीम दुरूस्ती का दावा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में पेश किया गया। जबकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का विपरीत कब्जा अभी तक होना अपील में बताया गया है तथा जिस तकासमें के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसका रिकॉर्ड कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। बिना तकासमें आदेश के प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना तथा तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 28.06.1995 ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर तहसीलदार सिकराय को प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुये नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के सम्बन्ध में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2025 को पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर